भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4379

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

नरसिंहपुर में चीनी मिल की स्थापना

4379. श्री चंदन चौहान:
श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंद हो चुकी अथवा वित्तीय समस्याओं से जूझ रही तथा पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता वाली चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का विचार है, क्योंकि इस जिले में बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): वर्तमान में, एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर कुल 573 चीनी मिलें पंजीकृत हैं, जिनमें से चीनी मौसम 2024-25 में 534 चीनी मिलें प्रचालनरत हैं और 39 चीनी मिलें बंद हैं। 39 चीनी मिलों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है;

राज्य	**मिलों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	4
गुजरात	3
कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	1*
महाराष्ट्र	18
पंजाब	1
तमिलनाडु	6
तेलंगाना	1
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	1
कुल	39

* मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में कुल 6 चीनी मिलें बंद हो गई हैं, जिनमें से 5 चीनी मिलें एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है।

(ख): केंद सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिल की स्थापना नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.08.1998 के प्रेस नोट के तहत, चीनी उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले उद्योग की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद, समय-समय पर यथा संशोशित गन्ना (नियंत्रण) आदेश के खंड 6 क से 6 ड. में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कोई भी उदयमी देश के किसी भी भाग में चीनी मिल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।
इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्हें सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने हेतु समिति गठन करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

****